न्यायालयः—श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ.ग.)

कमांक/क्यू/सी.जे.एम./2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 01.05.2023

—:: आपराधिक कार्यविभाजन संशोधित आदेश ::—

मैं श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. एवं माननीय सत्र न्यायाधीश द.ब.दंतेवाड़ा, जिला—दंतेवाड़ा के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राजस्व जिला दंतेवाड़ा एवं बचेली में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य कार्य के सुचारु संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यविभाजन में संशोधन करती हूँ, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द.ब.दंतेवाड़ा, जिला—दंतेवाड़ा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

क0	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं पदनाम	आपराधिक कार्यविभाजन का कार्यक्षेत्र
01	श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)	01. जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र— 1/ कोतवाली, दंतेवाड़ा 2/ गीदम 3/ बारसूर 4/ फरसपाल 5/ यातायात विभाग 6/आर.पी.एफ. दंतेवाड़ा 7/आर.पी.एफ. किरन्दुल से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरणों के रिमांड, अभियोग पत्र, इस्तागासा, संक्षेप्तः विचारण प्रकिया के तहत निराकृत किये जाने वाले प्रकरण एवं परिवाद पत्रों की जांच करना, संज्ञान लेना एवं विचारण करना एवं प्रकरणों को उपार्पित करना। जिसमें आबकारी विभाग, खाद्य विभाग एवं वन विभाग के प्रकरण भी शामिल हैं का निराकरण करना। 02. उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले पराकम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं विचारण करना। 03. जिला दंतेवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त आरक्षी केन्द्र एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत ऐसे समस्त प्रकरण, जिसमें शराब की मात्रा 05 या उससे अधिक बल्क लीटर हो, आबकारी अधिनियम एवं धारा 49 (क) आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान लेना और उनका विचारण करना। 04. उपरोक्त थाना क्षेत्र अंतर्गत भारतीय वन अधि., वन्य प्राणी संरक्षण अधि.एवं वन विभाग से उत्पन्न अन्य समी प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं उनका विचारण करना। 05. जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रो से उद्भूत खान अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत् प्रस्तुत प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं उनका विचारण करना। 06. जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत स्थित समस्त थाना क्षेत्रों से उद्भूत सभी प्रकार के विशेष अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र,

		इस्तागासा एवं पारिवाद पत्र के संदर्भ में समुचित कार्यवाही करना। 07. रेल्वे सुरक्षा बल चौकी किरन्दुल से उद्भूत होने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं उनका विचारण करना। 08. सम्पूर्ण जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न खात्मा खारिजी प्रकरणों के संबंध में समुचित आदेश पारित करना। 09. सम्पूर्ण जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा को सूचना देकर चलित न्यायालय लगाना। 10. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1922, कम्पनी अधिनियम 1956, धनकर अधिनियम 1957, दानकर अधिनियम 1958, आयकर अधिनियम 1961, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 एवं विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण। 11. नगर पंचायत दंतेवाड़ा से उद्भुत समस्त प्रकरण का संज्ञान लेना एवं उनका विचारण करना। 12. उपरोक्त आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना। 13. ऐसे प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में वर्णित नहीं है और ऐसे प्रकरण जो किसी विधि या अधि. में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्व ारा विचारणीय है, का निराकरण करना। 14. उक्त थाना क्षेत्रों से उद्भूत सत्र/विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणो में धारा 164 द.प्र.सं का कथन दर्ज करना। 15. थाना कटेकल्याण, अरनपुर, कुआकोंड़ा से उद्भूत होने वाले विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं. का कथन दर्ज करना।
02	श्रीमती शांति प्रभु जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द.ब. दंतेवाड़ा (छ. ग.)	01. जिला दंतेवाड़ा से अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र– 1/ कटेकल्याण 2/अरनपुर 3/कुआकोंडा से उद्भूत (रेल्वे सुरक्षा बल से संबंधित प्रकरणों एवं अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक अभियोग पत्र, इस्तागासा, परिवाद पत्र जिसमें आबकारी विभाग, वन विभाग एवं खाद्य विभाग के भी प्रकरण शमिल है का निराकरण करना एवं प्रकरण को उपार्पण करना। 02. उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले पराकम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 03. दंतेवाड़ा मुख्यालय स्थित सभी क्षेत्रों के उद्भूत धारा 354, 509 भा.दं.वि. से संबंधित प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण करना। 04. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दंतेवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। 05. संपूर्ण जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा को सूचना देकर चलित न्यायालय लगाना। 06. उक्त थाना क्षेत्रो से उद्भूत सत्र/विशेष न्यायालय द्वारा

		विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं का कथन दर्ज करना। 07. थाना कोतवाली दंतेवाड़ा, थाना गीदम, बारसूर, फरसपाल, बचेली, भांसी, किरन्दुल, आर.पी.एफ. दंतेवाड़ा एवं आर.पी.एफ. किरन्दुल से उद्भूत विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं. का कथन दर्ज करना।
03	श्री अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली (छ.ग.)	01. जिला दंतेवाड़ा से अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र– 1/ बचेली 2/ भांसी 3/ किरन्दुल से उद्भूत (रेल्वे सुरक्षा बल से संबंधित प्रकरणों एवं अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक अभियोग पत्र, इस्तागासा, परिवाद पत्र जिसमें आबकारी विभाग, वन विभाग एवं खाद्य विभाग के भी प्रकरण शमिल है का निराकरण करना एवं प्रकरण को उपार्पण करना। 02. उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले पराक्रम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 03. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दंतेवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। 04. संपूर्ण जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा को सूचना देकर चलित न्यायालय लगाना। 05. उक्त थाना क्षेत्रों से उदभूत धारा 354,509 भा.द.सं से संबंधित प्रकरणों का विचारण एवं निरांकरण करना। 06. उक्त थाना क्षेत्रो से उद्भूत सत्र/विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं का कथन दर्ज करना।

टीपः– 01. ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में ना हो या शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द.ब.दंतेवाड़ा जिला–दंतेवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत होगें।

02. दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर या अनुपस्थिति पर उनके न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के कार्यों का संपादन/निष्पादन निम्नानुसार किया जाएगाः–

क0	मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
01	श्रीमति रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)	01. श्रीमती शांति प्रभु जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा जिला–द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.) 02. श्री अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली, जिला–द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.)
02	श्रीमती शांति प्रभु जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द.ब. दंतेवाड़ा (छ. ग.)	01. श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.) 02. श्री अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली, जिला–द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.)
03	श्री अविनाश कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बचेली(छ.ग.)	01. श्रीमती शांति प्रभु जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा जिला–द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.), 02. श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.),

टीपः– उक्त अवकाश की स्थिति के दौरान संबंधित मजिस्ट्रेट के संबंधित थाना क्षेत्र से उद्भूत समरी/संक्षिप्त विचारण की प्रकृति वाले अभियोग पत्र, इस्तागासा एवं परिवाद का निराकरण संबंधित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय में पंजीयन हेतु स्वीकार करेंगे तथा उन्हें विधिवत् निराकरण करेंगे।

03. दंतेवाड़ा जिले में **अवकाश दिवस में रिमांड कार्य का संपादन मुख्यालय में** पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा निम्नानुसार किया जाएगाः–

क0	दिनांक	मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	
01	दिनांक 01 से 10 तक	श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.),	01. श्रीमती शांति प्रभु जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा जिला– द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.)	02. श्री अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली, जिला–द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.)
02	दिनांक 11 से 30–31 तक	श्रीमती शांति प्रभु जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.)	01. श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ.ग.)	02. श्री अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली, जिला–द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.)

टीपः– अवकाश दिवस में मुख्यालय में कोई मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता की दशा में उपलब्ध कोई मजिस्ट्रेट रिमांड दे सकेगा।

(श्रीमती रश्मि नेताम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ.ग.)

पृष्ठांकन कं.– /क्यू/सी.जे.एम./2023

दंतेवाड़ा, दिनांक 01.05.2023

प्रतिलिपिः–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
03. श्रीमान् प्रथम/द्वितीय,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
04. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी)जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
05. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय नक्सल)जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
06. श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी (कलेक्टर), जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
07. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
08. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
09. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जिला बीजापुर(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

10. श्रीमती शांति प्रभु जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. श्री अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. जिला अभियोजन अधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
13. अध्यक्ष, जिला/तहसील अधिवक्ता संघ, दंतेवाड़ा एवं बचेली की ओर सूचनार्थ।
14. जिला आबकारी अधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
15. वन संरक्षक/परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
16. सर्व थाना प्रभारी.. पुलिस जिला दंतेवाड़ा को सूचनार्थ अग्रेषित।

दंतेवाड़ा (छ.ग.)
दिनांक 01.05.2023

1.5.23

(श्रीमती रश्मि नेताम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दंतेवाड़ा छ0ग0

अनुमोदित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
01/05/2023